



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या:- 34/2016

.....जिला-जयपुर।

उनवान- मैसर्स कलकत्ता निट बियर्स जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक अधिकारी-प्रथम,संभाग द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय अधिकारी-प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2016	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री.सुनील शर्मा, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल,सदस्य</u></p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1615/2015/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2015 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है ।</p> <p>व्यवहारी की ओर श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया, जिस पर विभागीय प्रतिनिधि की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी ।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविधि प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 12.10.2015 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा को इस आदेश प्राप्ति के आगामी तीन माह तक के लिए बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा तीन माह तक के लिए बढ़ायी जाती है ।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया ।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               (मदन लाल)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (सुनील शर्मा)              सदस्य         </div> </div>	